

45

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3071/2018/विदिशा/भू.रा. विरुद्ध आदेश दिनांक 20-04-2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल, प्रकरण क्रमांक 318/अपील/2016-17

1-राजपाल पुत्र गंभीरसिंह राजपूत
2-धर्मपाल सिंह पुत्र गंभीरसिंह राजपूत
निवासी ग्राम गृहणी तहसील बासोदा
जिला विदिशा म0प्र0

.....आवेदकपक्ष

विरुद्ध

1-आशिक मोहम्मद पुत्र गौस मोहम्मद
निवासी गांधी चौक बासोदा जिला विदिशा
5-नूर मोहम्मद पुत्र गौस मोहम्मद
निवासी गांधी चौक बासोदा जिला विदिशा
3-विलकिस बी बेबा गौस मोहम्मद
निवासी गांधी चौक बासोदा जिला विदिशा
4-श्रीमती आलिया बी पत्नी नूर मोहम्मद
निवासी सोफिया कालेज के पास भोपाल
5-श्रीमती साजिया बी पत्नी लईक खॉ
निवासी नौलाश तहसील गयारसपुर
जिला विदिशा म0प्र0
6-आमना बी पत्नी अजीज मोहम्मद
निवासी सिंघाड तलाई ईदगाह के पास
खण्डवा म0प्र0

.....अनावेदकपक्ष

श्री आर0एस0सेंगर, अभिभाषक, आवेदकपक्ष

श्री राहुल बसंत व श्री ओ.पी.शर्मा, अभिभाषकगण, अनावेदक क्र.1 लगायत 4

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/6/19 को पारित)

आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-04-2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम ग्रहणी तहसील गंजबासौदा जिला विदिशा की वादग्रस्त भूमि के संबंध में नामान्तरण पंजी सरल क्रमांक 19 दिनांक 19-01-1988 पर आवेदक क्रमांक 1 व 2 के नाम नामान्तरण किया गया। तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 17-7-2017 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 20-4-2018 आदेश पारित कर अपील स्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) उक्त विवादित भूमि ग्राम ग्रहणी तहसील बासौदा स्थित सर्वे क्रमांक 275, 276 के आवेदकगण भूमिस्वामी है उनके द्वारा विक्रेता आमना बी पत्नि अजीज मोहम्मद से उक्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई थी उक्त विक्रय पत्र को किसी भी न्यायालय द्वारा शून्य घोषित नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति अपर आयुक्त द्वारा विवादित आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है।

(2) उक्त भूमियों से संबंधित अनावेदक क्रमांक 5 नूर मोहम्मद द्वारा विभिन्न दीवानी न्यायालयों में लम्बे समय से प्रकरण चलाये जाते रहे हैं दीवानी न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकरण का निर्णय अनावेदकगण के पक्ष में नहीं किया गया है और न ही अनावेदक क्रमांक 5 के पक्ष में किसी भी प्रकार का कोई आदेश पारित हुआ है, जिससे कि यह स्पष्ट हो सके कि उक्त विवादित भूमि के स्वत्व अनावेदकगण को प्राप्त होते हों।

(3) अपर आयुक्त द्वारा पारित निर्णय सिविल न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत समस्त दावा प्रकरण में सिविल न्यायालय में प्रस्तुत अपीलों में




पारित आदेशों में अनावेदक द्वारा पारित आदेशों को ध्यान में न रखकर अथवा गलत विवेचना कर आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(4) विधि का यह सिद्धांत है कि जब किसी संपत्ति के संबंध में स्वत्व को लेकर गंभीर विवाद हो अथवा विवाद से संबंधित प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हो तब ऐसी स्थिति में स्वत्व का निर्धारण करने की व्यवस्था मात्र व्यवहार न्यायालय को ही होती है व्यवहार न्यायालय द्वारा उक्त विवादित भूमि के संबंध में कोई अंतिम आदेश अथवा निर्णय पारित नहीं किया गया है उक्त विवादित भूमियों के संबंध में वर्तमान में भी माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार प्रकरण व्यवहार न्यायालय में विचाराधीन है । अतः ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

अंत में आवेदकपक्ष अधिवक्ता द्वारा निगरानी स्वीकार करते हुये अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखते हुये अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकपक्ष क्रमांक 1 लगायत 4 के विद्वान अभिभाषकों द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) आवेदक क्रमांक 1 व 2 द्वारा कथित नामान्तरण के आधार पर अवैधानिक रूप से लाभ लिया जा रहा है । उनके द्वारा भूमि पर लोन आदि भी लिया गया है जिसका उन्हें अधिकार नहीं था ।


(2) आवेदकपक्ष क्रमांक 1 व 2 द्वारा न्यायालय के अभिलेख में हेराफेरी कर फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर पुराने वर्षों में पुरानी तारीखों में प्रमाणीकरण कराने के उपरांत जघन्य अपराध कर न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग बार बार कर न्यायालय को गुमराह कर अनावश्यक मुकदमेबाजी प्रचलित कर न्यायालय का समय नष्ट किया जा रहा है ।

अंत में अनावेदकपक्ष अधिवक्ता द्वारा निगरानी निरस्त करते हुये अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रकरण में यह निर्विवादित है कि प्रश्नाधीन भूमि मसीही बी के नाम पर थी तथा उनसे विक्रय पत्र द्वारा आमना बी ने खरीदी थी । इस भूमि में से कुछ भूमि पर अनावेदक गौस मोहम्मद ने कब्जे के आधार पर Tenancy अधिकार मांगे थे, जो दिनांक 29-10-2004 को प्रकरण क्रमांक विविध अपील 21/99 में अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय

से खारिज होकर आमना बी का पूरी भूमि पर स्वत्व माना गया । ऐसी स्थिति में दिनांक 19-4-1984 की समझौता डिक्री जिसमें सर्वे क्रमांक 275/276 बाद में जोड़े गये थे वह महत्वहीन हो जाती है तथा सर्वे नम्बर 275/276 पर आमना बी का ही स्वत्व प्रमाणित होता है । ऐसी स्थिति में आमनाबी को उक्त भूमि को वर्तमान आवेदक राजपाल को विक्रय का पूर्ण अधिकार था । इसी प्रकार पंजी क्रमांक 65 पर जो नामान्तरण दिनांक 5-5-1986 को हुआ वह भी सर्वे नम्बर 275/276 के संबंध में दिनांक 19-4-1984 की डिक्री में से यह नम्बर विलोपित होने के बाद भी परिवर्तनीय नहीं है, क्योंकि वर्ष 2004 के व्यवहार न्यायालय के आदेश में इन सर्वे नम्बरों पर आमना बी का स्वत्व प्रमाणित होता है । अपर आयुक्त ने इस विधिक स्थितिपर ध्यान नहीं दिया जबकि अनुविभागीय अधिकारी ने इस संबंध में अपने आदेश में विचार किया है । अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिक नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-04-2018 निरस्त किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी गंज बासौदा जिला विदिशा द्वारा पारित आदेश दिनांक 17-7-2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।



(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर